प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्र. 421/2007

अपीलार्थी प्रकाश चंद्र अग्रवाल

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु दिनांक 23.11.2012 को सूचीबद्ध किया जाए।

सही/–
(प्रीतिंकर दिवाकर)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्र. 421/2007

अपीलार्थी प्रकाश चंद्र अग्रवाल

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

श्री दुष्यन्त नाईक, श्री सुनील ओटवानी एवं श्री बी.डी. गुरु अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री डी.के. ग्वालरे शासकीय अधिवक्ता, प्रवीण दास उप शासकीय अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/राज्य।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

निर्णय
(23.11.2012)

यह अपील दिनांक 18.04.2007 को विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) जांजगीर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 24/2006 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.04.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को स्वपक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, 1985 (संक्षेप में 'विशेष अधिनियम') की धारा 20 (ब) (ii) (स) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तथा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे ढाई वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.07.2006 को जब थाना चांपा के उप निरीक्षक राहुल तिवारी (अ.सा.-6) अपने कर्तव्य पर थे, तब उन्हें एक गुप्त टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बायपास रोड, गेमन ब्रिज के रास्ते से बड़ी मात्रा में गांजा बिक्री हेतु लेकर जा रहा है। उक्त सूचना को प्रदर्श पी-18 के माध्यम से लिखित रूप में दर्ज किया गया तथा इसे प्रदर्श पी-19 के माध्यम से एस.डी.ओ.(पुलिस) को अग्रेषित किया गया। इसके पश्चात पुलिस दल पंच गवाहों लक्ष्मीनारायण प्रधान (अ.सा.-2) एवं अमृतलाल देवांगन (अ.सा.-3) को साथ लेकर मौके पर पहुँचा और अभियुक्त/अपीलार्थी को पकड़ा। अभियुक्त/अपीलार्थी को विशेष अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत प्रदर्श पी-7 के माध्यम से नोटिस दिया गया तथा उसकी सहमति प्रदर्श पी-8 के माध्यम से प्राप्त की गई। अभियुक्त/अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी प्रदर्श पी-4 के अनुसार ली गई तथा पुलिस दल की व्यक्तिगत तलाशी प्रदर्श पी-5 के अनुसार प्रस्तुत की गई। अभियुक्त/अपीलार्थी की तलाशी के दौरान उससे 220 रुपये, एक डॉट पेन तथा एक रेलवे टिकट बरामद हुए। तलाशी मेमो प्रदर्श पी-9 के अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी के सिर पर

एक कार्टन तथा दाहिने हाथ में एक बैग पाया गया।गवाहों की व्यक्तिगत तलाशी अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रदर्श पी-6 के माध्यम से देने का प्रस्ताव किया गया, परंतु कोई आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात बैग और कार्टन से विनिर्दिष्ट पदार्थ बरामद किया गया, जिसका विवरण प्रदर्श पी-10 में है। उसे प्रदर्श पी-11 के माध्यम से पहचाना गया तथा तराजू और बाटों का भौतिक सत्यापन प्रदर्श पी-12 के माध्यम से किया गया। बरामद विनिर्दिष्ट पदार्थ को समरस किया गया तथा तौलने पर कुल 37 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसका उल्लेख तौल मेमो प्रदर्श पी-13 में है। इसमें से 50-50 ग्राम के चार नमूने लिए गए, जिन्हें विधिवत सील किया गया। नमूने लेने के बाद शेष विनिर्दिष्ट पदार्थ का पुनः तौल प्रदर्श पी-14 के अनुसार किया गया। इसके पश्चात जप्ती मेमो प्रदर्श पी-15 तैयार किया गया और अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रदर्श पी-16 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आने पर विनिर्दिष्ट पदार्थ एवं नमूनों को मालखाना रजिस्टर (प्रदर्श पी-16-अ) में जमा किया गया। इसके बाद विशेष अधिनियम की धारा 20(ब) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 दर्ज की गई। दिनांक 03.07.2006 के पत्र के साथ नमूने एफ.एस.एल. को भेजे गए, जिन्हें दिनांक 04.07.2006 को प्राप्त किया गया, जिसकी पावती प्रदर्श पी-2 है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 14.09.2006 को प्राप्त हुई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात विशेष अधिनियम की धारा 20(ब)(1)(1)(स) के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि इसे धारा 20(ब)(ii)(स) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 06 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं के निर्दोष होने तथा प्रकरण में झूठा फसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के अनुच्छेद क्रमांक 1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध करते हुए दंडित किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता यह तर्क करते हैं कि अभियोजन द्वारा कीया गया अन्वेषण पक्षपातपूर्ण, एकतरफा तथा अनुचित है और संपूर्ण कार्यवाही उप निरीक्षक राहुल तिवारी (अ.सा.-6) द्वारा ही संपन्न की गई है, जबकि वस्तुतः छापे के पश्चात जाँच किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी। उनका कहना है कि जब्ती की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद जाँच एक स्वतंत्र अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी, न कि स्वयं उप निरीक्षक (अ.सा.-6) द्वारा, तथा इसी प्रकार गवाहों के केस डायरी कथन भी किसी स्वतंत्र अन्वेषण अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए थे। वे यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विचारण के दौरान अभियोजन ने जब्त की गई विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा उसके नमूनों को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, ताकि उन्हें भौतिक वस्तु के रूप में चिन्हित किया जा सके। अतः इस कारण संपूर्ण विचारण दूषित हो जाता है, क्योंकि इससे अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, चूँकि वह जब्त की गई विनिर्दिष्ट वस्तु या नमूनों का निरीक्षण नहीं कर सका और न ही उन दोनों वस्तुओं पर मुहर लगाए जाने की पुष्टि कर सका। वे यह भी तर्क करते हैं कि विशेष अधिनियम की धारा 42 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, क्योंकि उप निरीक्षक (अ.सा.-6) से सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जिसने स्वीकृति देते हुए प्रदर्श पी-19 जारी किया था, उसे अभियोजन द्वारा परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। वे आगे कथन करते हैं कि स्वतंत्र गवाह लक्ष्मीनारायण प्रधान (अ.सा.-2) तथा अमृतलाल देवांगन (अ.सा.-3) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अतः केवल उप निरीक्षक (अ.सा.-6) के कथन के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि विशेष अधिनियम की धारा 55 का भी

पालन नहीं किया गया है, क्योंकि जब्ती पंचनामा में लगाई गई मुहर की छाप किसी तीसरे व्यक्ति को कभी नहीं दी गई और न ही सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उनका कहना है कि मुहर की छाप विधि विज्ञान प्रयोगशाला को तुलना हेतु भी नहीं भेजी गई। वे यह भी कथन करते हैं कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी लेते समय विशेष अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। उनके अनुसार यद्यपि व्यक्तिगत तलाशी में कोई विनिर्दिष्ट पदार्थ बरामद नहीं हुआ, तथापि अभियोजन को धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए था। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि विनिर्दिष्ट पदार्थ की जब्ती एवं उसका वजन करते समय विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा जाँच एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात प्रदर्श पी-15 के माध्यम से जब्ती की गई। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है- **नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो बनाम सुख देव राज सोढ़ी (2011 सीआर. एल.आर. एससी 545), रितेश चक्रवर्ती बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2006 (2) सीएआर (एससी) 874), जितेंद्र और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 2003 SC 4236), दिलीप और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007 एसएआर (आपराधिक) 204);** तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **नथिया और अन्य बनाम राज्य (अपराध द्वितीय-1992 पृष्ठ 537)**, उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय **बाटा कृष्णा साहू बनाम उड़ीसा राज्य ((2010) 45 ओसीआर 606)** तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय **शिव कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2006 (1) सीजीएलजे 426)** पर भी भरोसा किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि गोपनीय सूचना प्राप्त होने के पश्चात उसी दिनांक 2.7.2006 को उसे दैनिक डायरी में अंकित किया गया तथा इसके बाद एक पृथक मेमो प्रदर्श पी-18 तैयार कर उसे तत्काल उच्चाधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को प्रेषित किया गया। उन्होंने निवेदन किया कि इसके पश्चात अन्वेषण अधिकारी ने विशेष अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार अपने विश्वास के आधार दर्ज किए और अभियुक्त को कोई अवसर दिए बिना मौके पर पहुँचकर अभियुक्त/अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्श पी-19 भी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को प्रेषित किया गया, जिसे उनके वाचक द्वारा विधिवत प्राप्त किया गया, जैसा कि प्रदर्श पी-19 से स्पष्ट है। अतः राज्य के अधिवक्ता का कहना है कि विशेष अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया है। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी लेने से पूर्व उसे उसके विधिक अधिकार से अवगत कराया गया कि उसकी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ली जा सकती है। इस संबंध में विशेष अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस प्रदर्श पी-7 के माध्यम से दिया गया, जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी ने प्रदर्श पी-8 के माध्यम से उपनिरीक्षक (अ.सा.-6) द्वारा अपनी तलाशी लिए जाने के लिए सहमति प्रदान की। राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई और इस प्रकार इस चरण पर विशेष अधिनियम की धारा 50 की भूमिका समाप्त हो गई। इसके पश्चात अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी मेमो प्रदर्श पी-10 तैयार किया और अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा ले जाए जा रहे एक कार्टन तथा एक बैग को बरामद किया। जब्त किए गए विनिर्दिष्ट पदार्थ की बरामदगी के पश्चात प्रदर्श पी-10 तैयार किया गया। बरामद विनिर्दिष्ट पदार्थ की पहचान सूंघने तथा जलाने की प्रक्रिया द्वारा प्रदर्श पी-11 के माध्यम से की गई। वजन एवं संतुलन का सत्यापन प्रदर्श पी-12 के माध्यम से किया गया। इसके पश्चात विनिर्दिष्ट पदार्थ का समरसीकृत कर प्रदर्श पी-13 के माध्यम से वजन किया गया, जिसमें कुल विनिर्दिष्ट

पदार्थ 37 किलोग्राम पाया गया। बरामद एवं समरसीकृत किए गए विनिर्दिष्ट पदार्थ से 50-50 ग्राम के 4 नमूने निकाले गए। पुनः वजन प्रदर्श पी-14 के माध्यम से किया गया। शेष विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा नमूनों को प्रदर्श पी-14 के अनुसार विधिवत सील किया गया और तत्पश्चात जब्ती मेमो प्रदर्श पी-15 तैयार किया गया। जब्ती मेमो प्रदर्श पी-15 पर नमूना मुहर अभियुक्त की उपस्थिति में अंकित की गई और अभियुक्त द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस प्रक्रिया को किसी भी चरण पर अभियुक्त द्वारा चुनौती नहीं दी गई। राज्य के अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रदर्श पी-16 के माध्यम से गिरफ्तार करने के पश्चात अभियुक्त तथा जब्त विनिर्दिष्ट पदार्थ को थाना लाया गया। वहाँ सीलबंद विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा नमूने प्रदर्श पी-17-सी के माध्यम से मालखाना मोहर्रिर नंद किशोर मिश्रा (अ.सा.-4) को मेमो प्रदर्श पी-16-अ के साथ सुपुर्द किए गए। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-17-सी में प्रविष्टि की गई और तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 दर्ज की गई। राज्य के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि राहुल तिवारी (अ.सा.-6) स्वयं संबंधित थाने के थाना प्रभारी थे और वे किसी अन्य थाना प्रभारी के अधीन नहीं थे। अतः यह माना जा सकता है कि विशेष अधिनियम की धारा 55 का पालन किया गया है और इस चरण पर उक्त धारा का कठोर अनुपालन आवश्यक नहीं है। जब नमूना पैकेट को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया, तब उसके साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तथा जब्ती मेमो भी भेजे गए। जब्ती मेमो में मुहर की छाप भी अंकित थी। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 से स्पष्ट होता है कि नमूना पैकेट पर वही मुहर पाई गई जो जब्ती मेमो पर अंकित थी, जिससे जब्त विनिर्दिष्ट पदार्थ के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। राज्य के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क किया कि विवेचना अत्यंत निष्पक्ष एवं न्यायसंगत तरीके से की गई और इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब्ती के बाद अलग-अलग अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति करना अभियोजन के लिए अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक न्यायालय में विनिर्दिष्ट पदार्थ प्रस्तुत न किए जाने का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि चालान प्रस्तुत करते समय संपूर्ण विनिर्दिष्ट पदार्थ न्यायालय की अभिरक्षा में जमा कर दिया गया था और उससे पहले उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना अन्वेषण अधिकारी के नियंत्रण में नहीं था। उन्होंने कहा कि चालान के साथ संपूर्ण विनिर्दिष्ट पदार्थ जमा किए जाने का उल्लेख अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन में विधिवत किया गया है। राज्य के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि यदि अभियुक्त/अपीलार्थी को मुहर के साथ छेड़छाड़ का कोई संदेह था, तो वह न्यायालय से विनिर्दिष्ट पदार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता था। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि न्यायालय में विनिर्दिष्ट पदार्थ प्रस्तुत न किए जाने से उसे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी से मुहर के साथ छेड़छाड़ के संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. उप निरीक्षक राहुल तिवारी (अ.सा.-6) ने यह कथन किया है कि किस प्रकार गुप्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने विशेष अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत अपेक्षित सभी औपचारिकताओं का पालन किया, तत्पश्चात घटनास्थल पर पहुंचे, अभियुक्त/अपीलकर्ता को विशेष अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस दिया तथा प्रदर्श पी-15 के माध्यम से प्रतिबंधित विनिर्दिष्ट पदार्थ की जब्ती की। जब्ती की कार्यवाही करने, सील लगाने तथा तौल आदि की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 दर्ज की गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब्त किया गया विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा उसके नमूने सुरक्षित अभिरक्षा में जमा किए गए, जिन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया और रिपोर्ट प्रदर्श पी-22 प्राप्त होने के पश्चात अभियोग-पत्र प्रस्तुत

किया गया। साबित खान (अ.सा.-1), जो कि वह आरक्षक है जिसने नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचाया, उसने प्रदर्श पी-1 तथा पी-2 को सिद्ध किया है। लक्ष्मी नारायण प्रधान (अ.सा.-2) एवं अमृतलाल देवांगन (अ.सा.-3) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। नंद किशोर मिश्रा (अ.सा.-4), जो मालखाना मोहरिर है, ने अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि उसे 36.800 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ, उसने 50-50 ग्राम के चार नमूने तैयार किए, जिसकी पावती प्रदर्श पी-16-अ दी, संपूर्ण विनिर्दिष्ट पदार्थ को मालखाना में जमा किया तथा रजिस्टर में प्रविष्टि प्रदर्श पी-17-सी के रूप में की। दुखूराम केवट (अ.सा.-5) वह साक्षी है जिसने अभियुक्त तथा जब्त विनिर्दिष्ट पदार्थ के फोटोग्राफ लिए।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.07.2006 को पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता के कब्जे से 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। विधि के अनुसार आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे विधिवत दोषसिद्ध किया गया है। इस न्यायालय को अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकरण में की गई विवेचना पक्षपातपूर्ण, आंशिक या अन्यायपूर्ण थी। मात्र इस कारण कि राहुल तिवारी (अ.सा.-6) ने गोपनीय सूचना प्राप्त करने एवं उसे लिखित रूप में दर्ज करने के समय से लेकर संपूर्ण विवेचना पूर्ण की, इससे किसी भी प्रकार से विचारण प्रभावित या अवैध नहीं होता। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनके द्वारा की गई विवेचना पक्षपातपूर्ण या आंशिक थी। विधि में यह आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ करने वाला अधिकारी संपूर्ण विवेचना नहीं कर सकता अथवा विवेचना किसी अन्य अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए। इसी प्रकार, अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क भी निराधार पाया जाता है कि विशेष अधिनियम की धारा 42 का पालन नहीं किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि दिनांक 02.07.2006 को ही प्राप्त गोपनीय सूचना को लिखित रूप में अंकित किया गया तथा तत्पश्चात उसे प्रदर्श पी-18 के माध्यम से उच्च अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को प्रेषित किया गया। इसके बाद विवेचना अधिकारी ने विशेष अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार अपने विश्वास के आधारों को दर्ज किया और घटना स्थल की ओर प्रस्थान किया।भले ही स्वतंत्र साक्षी लक्ष्मी नारायण प्रधान (अ.सा.-2) तथा अमृतलाल देवांगन (अ.सा.-3) ने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया हो, इससे विचारण अमान्य नहीं हो जाता, क्योंकि विधि की स्थापित स्थिति यह है कि यदि विवेचना अधिकारी का कथन विधि के अनुरूप हो तथा न्यायालय का विश्वास उत्पन्न करता हो तो उसी के आधार पर भी अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में विवेचना अधिकारी (अ.सा.-6) के कथन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पूर्णतः निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से कार्य किया तथा विधि द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष संपूर्ण घटना का वर्णन करते समय भी वे अपने कथन पर दृढ़ दिखाई देते हैं। इस न्यायालय को अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं प्रतीत होता कि विशेष अधिनियम की धारा 55 एवं 57 का पालन नहीं किया गया। नमूने तथा बरामद विनिर्दिष्ट पदार्थ पर विधिवत सील लगाई गई थी तथा नमूना पैकेट को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजते समय उसके साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं जब्ती पंचनामा भी प्रेषित किया गया, जिसमें सील की छाप भी अंकित थी। इसके अतिरिक्त, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-22) से यह स्पष्ट है कि नमूना पैकेट पर वही सील पाई गई जो जब्त पैकेटों पर लगाई गई थी, अतः विनिर्दिष्ट पदार्थ से छेड़छाड़ की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस न्यायालय को अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई बल नहीं मिलता कि विशेष

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया। वर्तमान प्रकरण में इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलकर्ता को नोटिस दिया गया था और यद्यपि उसकी व्यक्तिगत तलाशी में कोई विनिर्दिष्ट पदार्थ बरामद नहीं हुआ, तथापि उसके द्वारा ले जाए जा रहे एक कार्टन एवं बैग में 37 किलोग्राम गांजा पाया गया। जहाँ तक न्यायालय में जब्त विनिर्दिष्ट पदार्थ प्रस्तुत न किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि इससे अभियुक्त/अपीलकर्ता को कोई प्रतिकूल प्रभाव पहुँचा हो, विशेषकर तब जबकि चालान प्रस्तुत करते समय संपूर्ण विनिर्दिष्ट पदार्थ न्यायालय की अभिरक्षा में सौंप दिया गया था और यह तथ्य अभियुक्त/अपीलकर्ता के ज्ञान में भी था। यदि अभियुक्त/अपीलकर्ता को सील से छेड़छाड़ के संबंध में कोई संदेह था तो वह न्यायालय से उक्त विनिर्दिष्ट पदार्थ प्रस्तुत कराने का निवेदन कर सकता था। अतिरिक्त रूप से, इतनी अधिक मात्रा में जब्त विनिर्दिष्ट पदार्थ को न्यायालय में प्रस्तुत न करना तब तक संपूर्ण विचारण को अवैध नहीं बनाता जब तक कि अभियोजन के मामले में कोई गंभीर त्रुटि या कमी न हो। इस बिंदु पर अभियुक्त/अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय भी सहायक नहीं हैं, क्योंकि उन मामलों में अभियुक्त/अपीलकर्ता की दोषमुक्ति केवल जब्त विनिर्दिष्ट पदार्थ प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर नहीं हुई थी। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं पर उद्धृत निर्णय भी अभियुक्त/अपीलकर्ता के किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा सभी अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर दंडित करने संबंधी निष्कर्षों में कोई त्रुटि या अवैधानिकता नहीं पाई जाती।

10. उपरोक्त किए गए विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को समस्त युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुँचना उचित और न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फलस्वरूप, अपील निराधार होने के कारण ख़ारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे ख़ारिज किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी पहले से ही कारागार में निरुद्ध है, इसलिए उसके समर्पण आदि के संबंध में कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है।

High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/–
(प्रीतिंकर दिवाकर)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ......Shreyas Nayak (Advocate)...........